रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112022-240291
CG-DL-E-15112022-240291

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5080]	नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2022/कार्तिक 24, 1944
No. 5080]	NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022/KARTIKA 24, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2022

का.आ. 5300(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3946 (अ) तारीख 25 अक्टूबर 2019 और का. आ. 2962 (अ) तारीख 22 जुलाई 2021 जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 3558 तारीख 31 अक्टूबर 2019 और असाधारण राजपत्र संख्या 2756 तारीख 27 जुलाई 2021 को प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिद्रिष्ट भूमि में कर्नाटक राज्य में पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हासन (कर्नाटक) से चेरलापल्ली (तेलंगाना) पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 14.12.2019 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिद्रिष्ट भूमि मे पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि मे उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख के केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड मे निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उतरदायी होगी और धारा 13 के अधीन पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कोर्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

तालुक : चल्लकेरे		**जिला : चित्रदुर्ग**		**राज्य : कर्नाटक**
क्रमांक	**गाँव का नाम**	**सर्वे नं**	**क्षेत्रफल**	
			एकर्	**गुंटा**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	क्यादिगुंटे	46/1	00	01
2		54/1	00	01

[फा. सं. आर-12030(27)/2/2019-ओआर-I/ई-30930]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2022

S.O. 5300(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3946 (E) dated the 25th October, 2019 and S.O. No. 2962 (E) dated the 22th July, 2021 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India No 3558 dated the 31th October, 2019 and Extra Ordinary Gazette of India No 2756 dated the 27th July, 2021 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in State of Karnataka for transportation of Petroleum Product, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 14.12.2019.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962. According to Section13, no suit, or other legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Taluka : Challakere		**District : Chitradurga**	**State : Karnataka**	
Sl.No.	**Name of The Village**	**Survey No.**	**Area**	
			Acres	**Guntas**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Kyadigunte	46/1	00	01
2		54/1	00	01

[F. No. R- 12030(27)/2/2019-OR-I/E-30930]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.15 22:24:44 +05'30'